न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2013-00034RAAJodhpur2013-17RTA223 dolatsingh Vs Lrs of Jaisingh smt. omidevi etc
2013-00035 RAAJodhpur2013-18RTA223 dolatsingh Vs Lrs of Badrilal Santosh etc
2013-00036 RAAJodhpur2013-19RTA223 dolatsingh Vs Lrs of Jaisingh smt. omidevi etc

दोलतसिंह पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, निवासी-
सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. जयसिंह पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर के कायम मुकामः -
   - 1.1. श्रीमती ओमीदेवी पत्नी श्री जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   - 1.2. नेनसिंह पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   - 1.3. गेनसिंह पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   - 1.4. महेन्द्र पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   - 1.5. ललिता पुत्री जयसिंह एवं पत्नी अर्जुनजी, जाति माली परिहार, निवासी- रावला बेरा पूंजला जोधपुर।
   - 1.6. सुमन पुत्री जयसिंह एवं पत्नी श्री प्रकाशजी, जाति माली कच्छवाह, निवासी पुराना बिजलीघर, नागौरी बेरा, जोधपुर।
   - 1.7. इन्दु पुत्री श्री जयसिंह एवं पत्नी श्री ललितजी, जाति माली कच्छवाह, निवासी- हंसलाव की पाल, मठ के पीछे, मण्डोर जोधपुर।
2. नेनसिंह पुत्र श्री जगदीश जी जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
3. गैनसिंह पुत्र श्री जयसिंह जी जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
4. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 दिसंबर 2012 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 162/2011 {16/2006} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री एस.एन. राजपुरोहित, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 2

{2} 2013-00035RAAJodhpur2013-18 Dolatsingh Vs Lrs of Badrilal Santosh etc

दोलतसिंह पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. बद्रीलाल पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, के कायम मुकाम:
    1.1. संतोष पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
    1.2. ब्रह्मसिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर
    1.3. माणक सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर
    1.4. अर्जुन सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1.5. राजू सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर
1.6. श्रीमती जसोदा पुत्री श्री बद्रीलालजी गहलोत पत्नी श्री करणसिंह जी देवड़ा, जाति माली, निवासी- मण्डोर गार्डन के पास मण्डोर, जोधपुर।
1.7. श्रीमती सुशीला पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत पत्नी श्री जयसिंह जी भाटी, जाति माली, निवासी- खेडीयाला बेरा पूंजला, जोधपुर।
1.8. श्रीमती देवी पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत, पत्नी श्री श्याम जी सांखला जाति माली, निवासी- बेरा पहाड़िया, मगरा के पास, जोधपुर।
1.9. श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत, पत्नी श्री केलाश जी चौहान, जाति माली, निवासी- बेरा भियाली, चौहानो का बास, मण्डोर, जोधपुर।

2. हरलाल पुत्र श्री किशोरसिंह जाति माली के कायम मुकामः -
   2.1. श्रीमती सुवा देवी पत्नी श्री हरलालजी गहलोत जाति माली,
   2.2. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री हरलाल जी गहलोत जाति माली,
   2.3. घनश्याम सिंह पुत्र श्री हरलाल जी गहलोत जाति माली,
   2.4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री प्रेमसिंह पौत्र श्री हरलाल जी निवासीयान् सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
3. जगदीश पुत्र श्री किशोरसिंह जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
4. छंवरलाल पुत्र श्री किशोरजी के कायम मुकामः -
   4.1. यशवंत सिंह पुत्र श्री छंवरलाल जाति माली, निवासी सुखाला बेरा मण्डोर, जोधपुर।
   4.2. गजेन्द्र उर्फ बाबू पुत्र श्री छंवरलाल जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   4.3. अरुणा पुत्री श्री छंवरलाल पत्नी श्री बलवीर सिंह जाति सांखला माली, निवासी- नया बास, मगरा पूंजला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

4.4. वीणा पुत्री श्री छंवरलाल पत्नी श्री धीरेन्द्र जाति टाक माली, निवासी- दो कोठो के बीच, घंटाघर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 दिसंबर 2012 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 315/2011 {103/2008} दौलतसिंह बनाम बद्रीलाल इत्यादि

उपस्थित-
श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री करणसिंह, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 1/2,2/2 से 2/4

(3)2013-00036RAAJodhpur2013-19 Dolatsingh Vs Lrs of Jaisingh smt. Omidevi etc

दोलतसिंह पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. जयसिंह पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर के कायम मुकामः -
   1.1. श्रीमती ओमीदेवी पत्नी श्री जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   1.2. नेनसिंह पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   1.3. गेनसिंह पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   1.4. महेन्द्र पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1.5. ललिता पुत्री जयसिंह एवं पत्नी अर्जुनजी, जाति माली परिहार, निवासी- रावला बेरा पूंजला जोधपुर।

1.6. सुमन पुत्री जयसिंह एवं पत्नी श्री प्रकाशजी, जाति माली कच्छवाह, निवासी पुराना बिजलीघर, नागौरी बेरा, जोधपुर।

1.7. इन्दु पुत्री श्री जयसिंह एवं पत्नी श्री ललितजी, जाति माली कच्छवाह, निवासी- हंसलाव की पाल, मठ के पीछे, मण्डोर जोधपुर।

2. हरलाल पुत्र श्री किशोरसिंह जाति माली के कायम मुकामः -

2.1. श्रीमती सुवा देवी पत्नी श्री हरलालजी गहलोत जाति माली,

2.2. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री हरलाल जी गहलोत जाति माली,

2.3. घनश्याम सिंह पुत्र श्री हरलाल जी गहलोत जाति माली,

2.4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री प्रेमसिंह पौत्र श्री हरलाल जी निवासीयान् सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

3. बद्रीलाल पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, के कायम मुकामः

3.1. संतोष पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

3.2. ब्रह्मसिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर

3.3. माणक सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर

3.4. अर्जुन सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर

3.5. राजू सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3.6. श्रीमती जसोदा पुत्री श्री बद्रीलालजी गहलोत पत्नी श्री करणसिंह जी देवड़ा, जाति माली, निवासी- मण्डोर गार्डन के पास मण्डोर, जोधपुर।

3.7. श्रीमती सुशीला पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत पत्नी श्री जयसिंह जी भाटी, जाति माली, निवासी- खेडीयाला बेरा पूंजला, जोधपुर।

3.8. श्रीमती देवी पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत, पत्नी श्री श्याम जी सांखला जाति माली, निवासी- बेरा पहाड़िया, मगरा के पास, जोधपुर।

3.9. श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत, पत्नी श्री केलाश जी चौहान, जाति माली, निवासी- बेरा भियाली, चौहानो का बास, मण्डोर, जोधपुर।

4. जगदीश पुत्र श्री किशोरजी
5. जसंवत पुत्र छंवरलाल जी
6. गजेन्द्र पुत्र श्री छंवरलाल जी

सभी जातियान् माली, निवासीगण- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

7. अरुणा देवी पत्नी श्री बलवीरसिंह जी पुत्री श्री छवंरलाल, जाति माली, निवासी- सांखलों का बास, मगरा पूंजला जोधपुर।
8. श्रीमी वीणा देवी पुत्री छंवरलाल जी पत्नी श्री विरेन्द्रसिंह जी टाक, जाति माली, निवासी दो कोटी के बीच घंटाघर जोधपुर।
9. श्रीमती लीला पत्नी श्री जगदीशसिंह जी
10. श्रीमती निर्मला पत्नी श्री पृथ्वीसिंह जी
11. श्रीमती अहिल्या पत्नी श्री संतोकसिंहजी
12. श्रीमती अरुणा पत्नी श्री माधोसिंह जी

सभी जातियान् माली, निवासीगण- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 दिसंबर 2012 सहायक कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 57/2011 {72/2007} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री स्वर्णसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 04 से 09
श्री करणसिंह, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 2/2 से 2/4, 3/2, 10
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

दिनांक : 31 जनवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 162/2011 {16/2006} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि, राजस्व वाद संख्या 315/2011 {103/2008} दौलतसिंह बनाम बद्रीलाल इत्यादि एवं राजस्व वाद संख्या 57/2011 {72/2007} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्रीयॉं दिनांक 10 दिसंबर 2012 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 30 जनवरी 2013 को प्रस्तुत की है।

तीनो अपीलो की विषय-वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् समान होने से एक ही निर्णय में निर्णित की जा रही है। प्रत्येक अपील में एक-एक निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 343 रकबा 19.06 बीघा, खसरा नं. 626 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नं. 627 रकबा 05.10 बीघा, खसरा नं. 628 रकबा 03.14 बीघा, खसरा नं. 629 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं. 623 रकबा 7.14 बीघा, खसरा नं. 624 रकबा 17.15 बीघा, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नं. 625 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं. 643 रकबा 07.05 बीघा, खसरा नं. 644 रकबा 12.12 बीघा, खसरा नं. 645 रकबा 09.09 बीघा, खसरा नं. 648 रकबा 07.16 बीघा, खसरा नं. 682/1 रकबा 09.09 बीघा, खसरा नं. 882/1 रकबा 16 बिस्वा कुल खसरा नं. 13 कुल रकबा 94.13 बीघा ग्राम मण्डोर तहसील जोधपुर के संबंध में रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किये। वाद दर्ज रजिस्टर किये जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादी के कथनों का खण्डन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2012 को स्थाई निषेधाज्ञा के वाद संख्या 162/2011 एवं 315/2011 खारिज किये गये तथा विभाजन के वाद को उभय पक्ष की सहमति से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपीले प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलार्थी मय अधिवक्ता व प्रत्यर्थीगण संख्या एक से तीन के अधिवक्ता दिनांक 07.12.2012 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे एवं दीगर पक्षकारान् उपस्थित नहीं थे। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण संख्या एक से तीन के अधिवक्ता ने इस सीमा तक प्राथमिक डिक्री पारित करने की सहमति दी थी कि पक्षकारान् के पिता श्री किशोर जी ने मौके पर जिस प्रकार से अपने सभी छः पुत्रों को अलग-अलग हिस्सा देकर काबिज करवा दिया था एवं सभी छः हिस्से के बीच माठे लगवा दी थी एवं अन्य भूमिया भी सामलाती रूप से किशोर जी द्वारा रखी गई, उन्हे उसी उपयोग व उपभोग में रखी जावे। किशोरजी द्वारा किया गया दस्तावेज पूर्व से ही पत्रावली पर है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली दिनांक 11.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12.2012 को आदेशार्थ हेतु मुकर्रर कर दी, लेकिन चूंकि इस प्रकरण में अन्य पक्षकारान् उपस्थित नहीं थे, जिनकी सुनवाई के बिना विधिवत रूप से कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था, इस कारण दिनांक 10.12.2012 को पत्रावली को अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया ताकि इस प्रकरण का सही व न्यायोचित निस्तारण हो सके। दिनांक 10.12.2012 को अधीनस्थ न्यायालय के रीडर महोदय ने उक्त प्रार्थना पत्र सभी पत्रावलियों में प्राप्त कर लिये एवं दिनांक 11.12.2012 को अपीलार्थी को आने का निर्देश दिया, जिस दिन पत्रावली मुर्कर्रर थी, लेकिन दिनांक 11.12.2012 को जब अपीलार्थी न्यायालय में गया तो उसे बताया गया हिक इस पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया गया है। तब अपीलार्थी ने इस निर्णय व डिक्री की प्रतिलिपि प्राप्त की, जिसको देखने से जाहिर हूआ कि उक्त निर्णय दिनांक 11.12.2012 के स्थान पर दिनांक 10.12.2012 को ही पारित कर दिया गया, जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र का कोई हवाला तक नहीं दिया गया। आलौच्य निर्णय को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान् के पिता किशोरजी द्वारा जो विभाजन मौके पर वर्षो पूर्व कर रखा है एवं मौके पर इस संबंध में माठे भी लगा रखी है, उसके अनुरूप न कर निर्णय में1/6-1/6 हिस्सा दर्शाते हुए अंतिम डिक्री हेतु कमिश्नर को यह आदेश दिया है कि वहमौके पर जाकर उक्तानुसार माप व सीमांकन से हिस्से अनुसार व कब्जे अनुसार विभाजन कर विभाजन का प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करे। यदि किसी पक्ष के हिस्से में कम भूमि हो तो तदनुसार समायोजित करते हुए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण संख्या एक से तीन द्वारा किये गये निवेदन के विपरीत जाकर पारित की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। अपीलार्थी द्वारा यही निवेदन अधीनस्थ न्यायालय से किया गया था कि किशोरजी द्वारा जो मौके पर विभाजन किया गया है उसके अनुरूप ही निर्णय पारित किया जावे, जिसमें प्रत्यर्थीगण संख्या एक से तीन की भी सहमति थी। अब यदि इस निर्णय को देखा भी जावे तो यह आलौच्य निर्णय प्रथमदृष्टया ही विरोधाभाषी हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जहां एक और बराबर-बराबर 1/6-1/6 हिस्सा करने बाबत डिक्री पारित की है, वही कमिश्नर को आदेश दिया है कि मौके पर उपरोक्त हिस्से अनुसार व कब्जे अनुसार विभाजन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यदि कब्जे अनुसार डिक्री पारित किया जाना माना जावे तो किशोरजी ने जिस प्रकार से पक्षकारान् को मौके पर अलग-अलग काबिज करा रखा है, उसी अनुरूप कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यदि हिस्से अनुसार व रकबे में कमी पेशी करते हुए समायोजन कर रिपोर्ट पेश की जाती है तो ऐसी रिपोर्ट कब्जे के विपरीत होने की संभावना पूर्ण है, क्योंकि थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकना पूर्ण संभव है जो विवाद शुरू से ही इस वाद में रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विरोधाभाषी, भ्रामक व अस्पष्ट हो जाती है जो त्रुटि देखते ही जाहिर होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थीगण संख्या एक से तीन ने यह स्वीकार किया है कि किशोरजी द्वारा मौके पर सभी छः पुत्रो को वादग्रस्त भूमि विभाजित कर मौके पर उन्हे कब्जा दिया गया है, जिसकी माठे बनी हुई है। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण जयसिंह द्वारा प्रस्तुत अन्य वाद में जवाबदावा की कॉपी भी प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय आलौच्य आदेश पारित करने में गम्भीर त्रुटि की है जो देखने से ही दृष्टिगोचर होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी छंवरलाल के विरूद्ध निर्णय पारित किया हैं, जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिनुसार मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था। विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान् को तलब किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीया पारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा श्रीमती लक्ष्मी देवी के बाबत कोई निर्णय पारित नहीं किया, जबकि लक्ष्मी देवी भी इन वादग्रस्त भूमियों की रेकर्डेड काश्तकार थी। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तीनों अपीले स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 162/2011 {16/2006} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि, राजस्व वाद संख्या 315/2011 {103/2008} दौलतसिंह बनाम बद्रीलाल इत्यादि एवं राजस्व वाद संख्या 57/2011 {72/2007} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्रीयॉ दिनांक 10 दिसंबर 2012 को अपास्त फरमाया जावे एवं मौके की स्थिति के अनुसार पक्षकारान् के पिता श्री किशोरजी द्वारा जिस प्रकार से मौके पर विभाजन किया हुआ है, जिस पर किशोर सिंह जी के सभी छः पुत्र मौके पर जिस प्रकार से काबिज है, उसी अनुरूप विभाजन किया जाकर अंतिम डिक्री पारित फरमायी जावे।

जबाब में अधिवक्तागण रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयॉ पारित की है, जो आदेश विधिसम्मत व न्याय संगत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीले सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96{3} के अनुसार पोषणीय नहीं है। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री एक कन्सेन्ट{सहमति} डिक्री नहीं है। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) स्पष्ट कहती है कि कन्सेन्ट डिक्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में पक्षकारान् के हक-हिस्सों मे कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि पक्षकारान् के पिताजी किशोरजी ने सभी छः हिस्सो के बीच माठे लगवा दी थी एवं अन्य भूमियॉ सामलाती रूप से किशोर जी द्वारा रखी गई, उन्हे उसी उपयोग व उपभोग में रखी जावे, इस कथन के समर्थन में अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका देखने से ही स्पष्ट होता है कि अधिवक्ताओं ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने में सहमति दी है। उसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी। अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संदर्भ मे निवेदन है कि विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान् पर विधिवत तामील करवायी गई, किंतु वे बावजूद सूचना विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जहां तक अपीलांट का उज्र है कि मृतक प्रत्यर्थी छंवरलाल के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, इस संदर्भ में निवेदन कि मृतक के विधिक उतराधिकारियों को रेकर्ड पर लाने की जिम्मेदारी वादी-अपीलार्थी की होती है। इसलिए अपीलांट का उक्त आक्षेप मान्य नहीं है। अपीलांट द्वारा धारा 188 के दावे में संयुक्त खातेदारी की भूमि के संबंध में पेश किये जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट विवेचन किया गया है कि अंतिम डिक्री पारित होने के समय ही इन पर निर्णय संभव है। अंत में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि तीनों अपीले खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की तीनो पत्रावलियों की आदेशिका दिनांक 07.12.2012 के अवलोकन मुताबिक दोनो पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने में सहमति प्रदान किया जाना पाया जाता है तथा सहमति स्वरूप उक्त पेशी की आदेशिका पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण के हस्ताक्षर किये जाने पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति के आधार पर विभाजन के दावे में वादग्रस्त भूमि में स्व. किशोरजी के सभी छः पुत्रान् के 1/6-1/6 बराबर हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर नायब तहसीलदार जोधपुर को कमिशन नियुक्त किया जाकर मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार माप व सींमाकन के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश दिये जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादी के वादग्रस्त भूमि में निहित 1/6 हिस्से में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। उक्त आदेशिका पर अपीलांट के कथनानुसार सहमति की सीमा बाबत कोई अंकन अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96{3} के मुताबिक कन्सेन्ट डिक्री के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी। लिहाजा इस परिप्रेक्ष्य में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 19/2013 कानून पोषणीय नहीं है।

वाद संख्या 162/2011 एवं 315/2011 के संबंध में विचारण न्यायालय के मत कि ''धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वादों का निर्णय अंतिम डिक्री पारित होने पर ही संभव होगा।'' चूंकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वर्तमान में सभी पक्षकारान् सहखातेदार है। कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। लिहाजा अदालत हाजा विचारण न्यायालय के उक्त मत से सहमत होने से वाद संख्या 162/2011 एवं 315/2011 में पारित निर्णय में कोई त्रुटि कारित होना नहीं पायी जाती है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयॉ उभय पक्ष की सहमति से पारित किये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तीनों अपीले खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 162/2011 {16/2006} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि, राजस्व वाद संख्या 315/2011 {103/2008} दौलतसिंह बनाम बद्रीलाल इत्यादि एवं राजस्व वाद संख्या 57/2011 {72/2007} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्रीयॉ दिनांक 10 दिसंबर 2012 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.01.2023
मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
दोलतसिंह पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।	ब ना म	1. जयसिंह पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर के कायम मुकामः - 1.1. श्रीमती ओमीदेवी पत्नी श्री जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर। 1.2. नेनसिंह पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर। 1.3. गेनसिंह पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर। 1.4. महेन्द्र पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर। 1.5. ललिता पुत्री जयसिंह एवं पत्नी अर्जुनजी, जाति माली परिहार, निवासी- रावला बेरा पूंजला जोधपुर। 1.6. सुमन पुत्री जयसिंह एवं पत्नी श्री प्रकाशजी, जाति माली कच्छवाह, निवासी पुराना बिजलीघर, नागौरी बेरा, जोधपुर। 1.7. इन्दु पुत्री श्री जयसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

		एवं पत्नी श्री ललितजी, जाति माली कच्छवाह, निवासी- हंसलाव की पाल, मठ के पीछे, मण्डोर जोधपुर। 2. नेनसिंह पुत्र श्री जगदीश जी जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर। 3. गैनसिंह पुत्र श्री जयसिंह जी जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर। 4. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 दिसंबर 2012 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 162/2011 {16/2006} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि

{2} 2013-00035RAAJodhpur2013-18 Dolatsingh Vs Lrs of Badrilal Santosh etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
दोलतसिंह पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।	ब ना म	1. बद्रीलाल पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, के कायम मुकामः 1.1. संतोष पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर। 1.2. बह्मसिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1.3. माणक सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर
1.4. अर्जुन सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर
1.5. राजू सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर
1.6. श्रीमती जसोदा पुत्री श्री बद्रीलालजी गहलोत पत्नी श्री करणसिंह जी देवड़ा, जाति माली, निवासी- मण्डोर गार्डन के पास मण्डोर, जोधपुर।
1.7. श्रीमती सुशीला पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत पत्नी श्री जयसिंह जी भाटी, जाति माली, निवासी- खेडीयाला बेरा पूंजला, जोधपुर।
1.8. श्रीमती देवी पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत, पत्नी श्री श्याम जी सांखला जाति माली, निवासी- बेरा पहाड़िया, मगरा के पास, जोधपुर।
1.9. श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत, पत्नी श्री केलाश जी चौहान, जाति माली, निवासी- बेरा भियाली, चौहानो का बास, मण्डोर, जोधपुर।

2. हरलाल पुत्र श्री किशोरसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाति माली के कायम मुकामः -

2.1. श्रीमती सुवा देवी पत्नी श्री हरलालजी गहलोत जाति माली,

2.2. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री हरलाल जी गहलोत जाति माली,

2.3. घनश्याम सिंह पुत्र श्री हरलाल जी गहलोत जाति माली,

2.4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री प्रेमसिंह पौत्र श्री हरलाल जी निवासीयान् सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

3. जगदीश पुत्र श्री किशोरसिंह जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

4. छंवरलाल पुत्र श्री किशोरजी के कायम मुकामः -

4.1. यशवंत सिंह पुत्र श्री छंवरलाल जाति माली, निवासी सुखाला बेरा मण्डोर, जोधपुर।

4.2. गजेन्द्र उर्फ बाबू पुत्र श्री छंवरलाल जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

4.3. अरुणा पुत्री श्री छंवरलाल पत्नी श्री बलवीर सिंह जाति सांखला माली, निवासी- नया बास, मगरा पूंजला जोधपुर।

4.4. वीणा पुत्री श्री छंवरलाल पत्नी श्री धीरेन्द्र जाति टाक माली, निवासी- दो कोठो के बीच, घंटाघर, जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 दिसंबर 2012 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 315/2011 {103/2008} दौलतसिंह बनाम बद्रीलाल इत्यादि

----

(3)2013-00036RAAJodhpur2013-19 Dolatsingh Vs Lrs of Jaisingh smt. Omidevi etc

अपीलाण्ट

दोलतसिंह पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

1. जयसिंह पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर के कायम मुकामः -
   - 1.1. श्रीमती ओमीदेवी पत्नी श्री जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   - 1.2. नेनसिंह पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   - 1.3. गेनसिंह पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   - 1.4. महेन्द्र पुत्र जयसिंह जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
   - 1.5. ललिता पुत्री जयसिंह एवं पत्नी अर्जुनजी, जाति माली परिहार, निवासी- रावला बेरा पूंजला जोधपुर।
   - 1.6. सुमन पुत्री जयसिंह एवं पत्नी श्री प्रकाशजी, जाति माली कच्छवाह,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासी पुराना बिजलीघर, नागौरी बेरा, जोधपुर।

1.7. इन्दु पुत्री श्री जयसिंह एवं पत्नी श्री ललितजी, जाति माली कच्छवाह, निवासी- हंसलाव की पाल, मठ के पीछे, मण्डोर जोधपुर।

2. हरलाल पुत्र श्री किशोरसिंह जाति माली के कायम मुकामः -

2.1. श्रीमती सुवा देवी पत्नी श्री हरलालजी गहलोत जाति माली,

2.2. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री हरलाल जी गहलोत जाति माली,

2.3. घनश्याम सिंह पुत्र श्री हरलाल जी गहलोत जाति माली,

2.4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री प्रेमसिंह पौत्र श्री हरलाल जी निवासीयान् सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

3. बद्रीलाल पुत्र श्री किशोरजी, जाति माली, के कायम मुकामः

3.1. संतोष पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

3.2. ब्रह्मसिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर

3.3. माणक सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मण्डोर जोधपुर

3.4. अर्जुन सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर

3.5. राजू सिंह पुत्र श्री बद्रीलाल जी गहलोत, जाति माली गहलोत, निवासी- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर

3.6. श्रीमती जसोदा पुत्री श्री बद्रीलालजी गहलोत पत्नी श्री करणसिंह जी देवड़ा, जाति माली, निवासी- मण्डोर गार्डन के पास मण्डोर, जोधपुर।

3.7. श्रीमती सुशीला पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत पत्नी श्री जयसिंह जी भाटी, जाति माली, निवासी- खेडीयाला बेरा पूंजला, जोधपुर।

3.8. श्रीमती देवी पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत, पत्नी श्री श्याम जी सांखला जाति माली, निवासी- बेरा पहाड़िया, मगरा के पास, जोधपुर।

3.9. श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री बद्रीलाल जी गहलोत, पत्नी श्री केलाश जी चौहान, जाति माली, निवासी- बेरा भियाली, चौहानो का बास, मण्डोर, जोधपुर।

4. जगदीश पुत्र श्री किशोरजी
5. जसंवत पुत्र छंवरलाल जी
6. गजेन्द्र पुत्र श्री छंवरलाल जी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जातियान् माली, निवासीगण- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

7. अरूणा देवी पत्नी श्री बलवीरसिंह जी पुत्री श्री छवंरलाल, जाति माली, निवासी- सांखलों का बास, मगरा पूंजला जोधपुर।
8. श्रीमी वीणा देवी पुत्री छंवरलाल जी पत्नी श्री विरेन्द्रसिंह जी टाक, जाति माली, निवासी दो कोटी के बीच घंटाघर जोधपुर।
9. श्रीमती लीला पत्नी श्री जगदीशसिंह जी
10. श्रीमती निर्मला पत्नी श्री पृथ्वीसिंह जी
11. श्रीमती अहिल्या पत्नी श्री संतोकसिंहजी
12. श्रीमती अरूणा पत्नी श्री माधोसिंह जी
    सभी जातियान् माली, निवासीगण- सुखाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 दिसंबर 2012 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 57/2011 {72/2007} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 31 जनवरी 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री अक्षय दवे मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं श्री एस.एन. राजपुरोहित, श्री करणसिंह, श्री स्वर्णसिंह मिनजानिब रेस्पो एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि तीनों अपीले खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 162/2011 {16/2006} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि, राजस्व वाद संख्या 315/2011 {103/2008} दौलतसिंह बनाम बद्रीलाल इत्यादि एवं राजस्व वाद संख्या 57/2011 {72/2007} दौलतसिंह बनाम जयसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्रीयॉ दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

10 दिसंबर 2012 यथावत रखे जाते है। । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया।

31.01.2023
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. हजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. हजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

31.01.2023
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर